# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–98/2018 (2018/00098 )/223/मसूदा

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, विजयनगर जिला अजमेर।
अपीलांट

बनाम

महावीर पुत्र श्रीमदनलाल जाति शर्मा (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः–

1/1 श्रीमती कंकू देवी पत्नी स्व.महावीर शर्मा

1/2 राजकुमार पुत्र स्व. महावीर शर्मा ।

1/3 सुश्री सोनी पुत्री स्व. महावीर शर्मा ।

1/4 सुश्री आरती पुत्री स्व.महावीर शर्मा ।

1/5 सुनिल कुमार पुत्र स्व.महावीर शर्मा । नाबालिग जरिये सरंक्षक माता श्रीमती कंकू देवी ।

02 श्रीमती विमला पत्नी स्व.मदन लाल शर्मा सभी निवासीगण ग्राम बाड़ी ग्राम पंचायत बरल–।। तहसील मसूदा हाल विजयनगर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2016, वाद संख्या 59/2009 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा।

उपस्थितः–

1. श्री धर्मवीर चौधरी एड़वोकेट (राजकीय अभिभाषक) अपीलांटस की ओर से।
2. श्री अजीत सिंह राठौड़ एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 2 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः– 16.10.2018

1. अपीलांट ने यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकरी, मसूदा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा वाद संख्या 59/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।
2. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 433 में से रकबा 5 बीघा बाबत् रेस्पोडेन्टस संख्या 01, 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातदोरी उद्घोषण हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया। विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वंय के पिता/पति मदनलाल पुत्र राम प्रताप जाति ब्राहमण के पक्ष में सन् 1972 को आवंटन होने एवं राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया। जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2016 को स्वीकार कर उक्त आराजीयात को रेस्पोडेन्टस के नाम खातेदारी में अंकन किये जाने बाबत् निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट (राजस्थान सरकार)जरिये तहसीलदार, विजयनगर ) ने उक्त न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक (अपीलांट) ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए बहस जाहिर किया कि वादग्रस्त आरजीयात राजस्व रेकार्ड में राजकीय सिवायचक आराजीयात दर्ज चली आ रही हैं एवं वादग्रस्त आराजीयात पैराफैरी सीमा में स्थित हैं जिस पर अवैधनिक रूपसे रेस्पोडेन्टस का कब्जा अतिक्रमी के रूप में ही माना जाने योग्य हैं एवं अतिक्रमी को किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार राजकीय सिवायचक आराजीयात पर विधि अनुसार प्राप्त नही होते हैं। रेस्पोडेन्टस अथवा उनके पूर्वजों के पक्ष में किसी प्रकार का आवंटन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया हैं ना ही उक्त आराजीयात के बाबत् मात्र अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी अधिकारी रेस्पोडेन्टस को प्रदत्त किये जा सकते हैं। रेस्पोडेन्टस द्वारा उक्त आराजीयात को पूर्वज के पक्ष में सन् 1972 में आंवटन होना बताते हुए राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया हैं किन्तु उक्त की पुष्टि में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य बाबत् आवंटन प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात का आवंटन किया जाना एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्टस का लगातार कब्जा होना वर्णित करते हुए तनकी संख्या 01 का निर्णय अवैधानिक रूप से रेस्पोडेन्टस के पक्ष में किये जाने में कानूनी त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2016 की पालना कराने के लिए प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थना त्रप प्रस्तुत करने पर जानकारी होने से सम्बन्धित न्यायालय से वाद के निर्णय एवं डिक्री एवं अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए दिनांक 20.03.2018 को आवेदन किया जिस पर दिनांक 22.03.2018 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से जानकारी होने पर नियमानुसार निर्णय पर कानूनी राय प्राप्त की जाकर जानकारी दिनांक 22.03.2018 से यह अपील बिना देरी के प्रस्तुत की जा रही हैं व मियाद अवधि में छूट हेतु धारा 5 मियाद अधि. का प्रार्थना पत्र सलंग्न किया हैं। जिसे स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें। न्यायालय हाजा से अनुराध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2016 को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि वादी ने खसरा नम्बर 433 रकबा 05 बीघा वादी के पति/पिता को दिनांक 15.07.1972 को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया। इसकी पुष्टि हेतु वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समख आवंटन कमेटी के कार्यवाही रजिस्टर की छाया प्रति पेश की हैं जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न हैं। आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर से चाहे जाने पर वादीगण को नकल प्रार्थना पत्र क्रमांक 397 दिनांक 07.08.2009 से सूचित किया गया हैं कि इस अभिलेख को नष्ट किया जा चुका है ऐसी स्थिति में सूचि सेकन्ड्री एविडेन्स में ग्राहय योग्य पाई हैं। वादीगण के पक्ष में स्वंतत्र गवाह श्रवण पुत्र सोहन जोशी, रामलाल पुत्र राजू गर्जुर व हगामी लाल पुत्र सोहनलाल जोशी जो सभी उम्रदराज व्यक्ति हैं ने वादी के पिता को आवंटन किये जाने एवं आवंटन दिवस से उनका कब्जा चले आने की पुष्टि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन पर पट्टा शुन्क रसीद संख्या 11.08.1972 से जमा करवाया गया बाद में लगान लिया जाता रहा हैं तथा खसरा परिर्वतनशील सम्वत 2029 में विवादित आराजी में वादी के पिता को गैर खातेदार अंकित किया गया हैं जो साबित होने से वादीगण के वाद को स्वीकार किया हैं। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि रेस्पोडेन्टस/वादीगण भूमि पर केवल अतिक्रमी बताया है, जो बिल्कुल गलत हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्य व सुनवाई करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया हैं जो विधि सम्मत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. सर्वप्रथम हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। रेस्पोडेन्ट के द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश नही किया गया एवम् ना ही उनके द्धारा काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया हैं। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों पर विचार करने के उपरान्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

7. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों एवं प्रस्तुत नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान द्धारा की गई बहस के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि विवादित आराजी मदन लाल पुत्र रामप्रताप शर्मा को दिनांक 15.07.1972 को आवंटन हुई हैं। प्रदर्श 19 खसरा परिवर्तन सम्वत 2029 में गैर–खातेदार दर्ज करना पूरी तरह साबित करता हैं कि विवादित आराजी वादीगण /रेस्पोडेन्ट के पूर्वज मदनलाल पुत्र रामप्रताप को आवंटन हुई हैं। अपने समर्थन में वादीगण/रेस्पोडेन्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू–प्रबन्ध विभाग की प्रति एवं इसके अतिरिक्त वादीगण/रेस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष में आवंटन से अब तक समस्त दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं। अपीलांट ने वादीगण/रेस्पोडेन्टस को आवंटन नहीं होने सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त दस्तावेजात का अवलोकन कर एवं पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय व डिक्री पारित किये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। फलतः अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2016 यथावत् रखा जाता हैं।

16/10/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर।

9. आदेश आज दिनाक 16.10.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

16/10/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Judil/Civil
Part IV- 4

# डिगरी सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"- 9)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाश :– **श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर.ए.एस.**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, विजयनगर जिला अजमेर।

बनाम

महावीर पुत्र मदन लाल जाति शर्मा (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः–
1/1 श्रीमती कंकू देवी पत्नी स्वर्गीय महावीर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बाड़ी ग्राम पंचायत बरल–।।, तहसील मसूदा हाल विजयनगर जिला अजमेर व अन्य ।

अपील संख्याः– 98 सन् 2018 (2018/00098) ब नाराजगी डिगरी अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा मुबर्खे 15 माह 09 सन् 2016.

दावा बाबत् :धारा 88 एवं 188 राज.काश्तकारी अधिनियम.

यह अपील ब तारीख 16 माह 10 सन् 2018 रूबरू **राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर** ब हाजिरी श्री धर्मवीर चौधरी एड़वोकेट (राजकीय अभिभाषक) मिनजानिब अपीलांट, श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ है कि :–अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2016 यथावत् रखा जाता हैं।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक.....-............. )रूपये..-.......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....-................................... अदा करें।

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 16 माह 10 सन् 2018. को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।

खर्चा अपील

| अपीलांट | रूपये पैसे | रेस्पोडेन्ट | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| 1.स्टाम्प अपील | – | 1.स्टाम्प वकालतनामा | – |
| 2.स्टाम्प वकालतनामा | – | 2. स्टाम्प अर्जी | – |
| 3. इजराय हुक्नामा | – | 3. इजराय हक्नामा | – |
| 4. वकील फीस बाबत् | – | 4.मेहनताना वकील | – |
| मीजान | – | मीजान | – |

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहियें।